संख्या-32/2020/728 ई-2/तेरह-2020-100/1988

प्रेषक,

ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 02 अप्रैल, 2020

विषयः- विभिन्न चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, सुरक्षा संस्थाओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों को निःशुल्क सुरासव तथा विशुद्ध मद्यसार दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-132/प्राविधिक/जनहित गारण्टी अधिनियम/2018-19, दिनांक 30 मार्च ,2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करे, जिसके अन्तगत पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 27 नवम्बर,2018 द्वारा विभिन्न चिकित्सालयों, शिक्षण संस्थाओं, प्रयोगशालाओं, सुरक्षा संस्थाओं एवं अन्य प्रतिष्ठानों को निःशुल्क सुरासव तथा विशुद्ध मद्यसार दिये जाने के सम्बन्ध में एक वर्ष में दी जाने वाली निर्धारित मात्रा को करोना संक्रमण के दृष्टिगत दिनांक 30.04.2020 तक शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र दिनांक 30.03.2020 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासनादेश दिनांक 27.11.2018 द्वारा नामित संस्थाओं एवं प्रतिष्ठानों को उक्त शासनादेश में विहित व्यवस्थानुसार निर्धारित मात्रा से तीन गुना अधिक निःशुल्क सुरासव तथा विशुद्ध मद्यसार दिनांक 30.04.2020 तक दिये जाने हेतु संयुक्त आबकारी आयुक्त (जोन) को अधिकृत किये जाने तथा उक्त सीमा से अधिक निःशुल्क सुरासव तथा विशुद्ध मद्यसार, उक्त संस्थाओं को दिये जाने का अधिकार आपको प्रदान किया जाता है । उक्त के अतिरिक्त प्रकरण में यह भी अपेक्षित है कि प्रश्नगत मामलें की आप द्वारा नियमित समीक्षा/अनुश्रवण करते यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त शिथिलता/छूट का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग न किया जा सकें।

भवदीय,

(ईश्वरी प्रसाद पाण्डेय)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in